भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं0 - 154
उत्तर देने की तारीख - 16 अगस्त, 2013

दूरभाष पर होने वाली बातचीत को गुप्त रूप से सुना जाना

***154. श्री तरुण विजय :**

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरभाष पर होने वाली समस्त बातचीत तक सरकार की सीधी पहुंच है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो दूरभाष पर होने वाली बातचीत को गुप्त रूप से सुने जाने के संबंध मे क्या दिशानिर्देश हैं;

(ग) गैर-कानूनी तरीके से 'फोन टैपिंग' के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा लोगों के एकान्तता के अधिकार की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

जारी....2

राज्य सभा में **"दूरभाष पर होने वाली बातचीत को गुप्त रूप से सुना जाना"** के बारे में दिनांक 16 अगस्त, 2013 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 154 के भाग (क) से (घ) के संबंध में सभा पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) और (ख) : सरकार की प्राधिकृत विधि प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) गृह सचिव, जो देश के किसी भाग में अंतरावरोधन को प्राधिकृत कर सकते हैं तथा संबंधित राज्य के लिए राज्य के गृह सचिव से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी टेलीफोन संख्या से होने वाली बातचीत का भारतीय तार नियम 419(क) के साथ पठित भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के उपबंधों के अनुसार अंतरावरोधन और उनकी निगरानी कर सकती हैं।

धारा 5 (2) के अंतर्गत अंतरावरोधन एवं निगरानी केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही अनुमत्य है:-

निम्नलिखित के लिए:-

- भारत की संप्रभुता और एकता।
- देश की सुरक्षा।
- अन्य देशों के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध अथवा
- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रेरित करने से रोकने के लिए।

इस प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित स्थितियों में केवल लक्षित नंबर के अंतरावरोधन और निगरानी की अनुमति है।

(ग) और (घ) : भारतीय तार अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत अवैध फोनटैपिंग दंडनीय अपराध है। अवैध अंतरावरोधन के लिए कारावास के दंड का प्रावधान है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा दोनों प्रकार के दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। सरकार ने केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली को भी कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली को कार्यान्वित किए जाने के पश्चात लक्ष्य का प्रावधान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्राधिकार भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार का प्रावधान विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) से भिन्न किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान करने वाली एजेंसी संबंधित विषय-वस्तु की निगरानी करने में सक्षम नहीं होगी और ऐसी विधि प्रवर्तन एजेंसी जिससे निगरानी करने का अनुरोध किया गया है, लक्ष्य का प्रावधान करने में सक्षम नहीं होगी, इस प्रकार इस प्रणाली में ही जांच बिन्दुओं के तंत्र की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त किसी अवैध निगरानी को रोकने के लिए इस प्रणाली में जांच किए जाने योग्य लॉग की व्यवस्था भी की जाएगी।

*****